पत्रांक–05/बी02–28/2015
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

डॉ० खालिद मिर्जा,
निदेशक, (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

निदेशक,
प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान,
वैशाली।

पटना, दिनांक ..../

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली के विद्युत प्रभार मद में अतिरिक्त आवंटन।**

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–004–अनुसंधान, उप शीर्ष–0006– प्राकृत जैन शास्त्र अहिंसा शोध संस्थान, विपत्र कोड संख्या–21–2202800040006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में विद्युत प्रभार मद में अंकित राशि रू0 **1,90,000/–(एक लाख नब्बे हजार रूपये)** मात्र आपको अतिरिक्त आवंटन आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्र० सं०	कोड संख्या/मद	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	000613.04–विद्युत प्रभार	1,00,000	1,90,000	2,90,000
	21–2202.80.004.0006	**1,00,000**	**1,90,000**	**2,90,000**

तत्काल आवंटित राशि **1,90,000/–(एक लाख नब्बे हजार रूपये)** मात्र।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि0–2), दिनांक–17.04.1998 300(वि), दिनांक– 08.05.2009, 428 दिनांक–31.03.2017 एवं 3002 दिनांक–26.04.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

3 प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

8. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

9. आवंटित राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाय।

10. विभागीय पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या–107 दिनांक–27.02.2018 द्वारा इस विपत्र कोड के विषय शीर्ष–13.04–विद्युत प्रभार मद में **1,90,000/–(एक लाख नब्बे हजार रूपये)** मात्र वित्तीय वर्ष 2017–18 में पुनर्विनियोग द्वारा अतिरिक्त राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(डॉ० खालिद मिर्जा),

निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांक:– 297 पटना, दिनांक:– 28/2/18

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/प्रशाखा–05, 14, 15 एवं कार्यवाहक सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

28.2.18

(डॉ० खालिद मिर्जा),

निदेशक (उच्च शिक्षा),